**पत्र सूचना शाखा**
**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0**
-------

**राज्यपाल ने अध्यादेश को अनुमति प्रदान की**
**काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास के लिये श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना**

लखनऊः 29 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने 'श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अध्यादेश, 2018' को प्रख्यापित कर दिया है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग होने के कारण विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्ति एवं पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का विशिष्ट स्थल है। वाराणसी जनपद में काशी विशिष्ट क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और स्थापत्य संबंधी सौन्दर्यबोध के गुणों को परिरक्षित, विकसित और अनुरक्षित करने के लिए योजना बनाने तथा ऐसी योजना के समन्वय और कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए और क्षेत्र के पर्यटन विकास एवं धरोहरों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए श्री काशी विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया गया है।

उक्त अध्यादेश से संबंधित पत्रावली 28 जून, 2018 को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु राजभवन को प्राप्त हुई थी।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन(260/37)